भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 220

जिसका उत्तर सोमवार, 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

पूंजीगत माल क्षेत्र

220. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि पर कोई योजना कार्यान्वित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां।

(ख): "भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि" की योजना 05.11.2014 को अधिसूचित कर दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास का सुदृढ़ीकरण करके, साझा विनिर्माण अवसंरचना उपलब्ध कराकर और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर भारतीय पूंजीगत माल उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इस योजना में सरकार की ओर से ₹581.22 करोड़ की बजटीय सहायता तथा उद्योग की ओर से ₹349.74 करोड़ के अंशदान की परिकल्पना की गई है।

प्रस्तावित योजना में घरेलू पूंजीगत माल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अवसंरचनात्मक उपाय तथा वित्तीय उपाय शामिल हैं:-

- पूंजीगत माल के अलग-अलग उप क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान में पांच उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) स्थापित करना।
- एक एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ) की स्थापना।
- दो साझे इंजीनियरी सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- पूर्ण सरकारी सहायता से परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम।

निधियन पैटर्न सहित योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट http://dhi.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग): पांच वर्ष।

*****